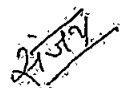


उक्त आरोप अत्यंत गंभीर प्रकृति के हैं एवं सार्वजनिक धन से संबंधित हैं। अतः छत्तीसगढ़ शासन से अनुरोध है कि मामले की तथ्यात्मक, वित्तीय एवं प्रशासनिक जाँच कराई जाए तथा इस संबंध में की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराते हुए जाँच प्रतिवेदन/कार्यवाही रिपोर्ट उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4. यह पत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक : श्री नरेश चंद्र गुप्ता, अधिवक्ता का प्रतिवेदन

भवदीय,



(संजय कुमार गौर)

अवर सचिव, भारत सरकार

ईमेल : gaur.sk@nic.in

फ़ोन नंबर: 011-23381631

प्रतिलिपि :

श्री नरेश चंद्र गुप्ता, अधिवक्ता,

मकान क्रमांक-8, विवेकानंद नगर,

रायपुर, छत्तीसगढ़।